

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण  
पुसपा देवी पत्नी रमेश कुमार जाति मीणा  
निवासी सेवाडी तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी  
राजस्थान सरकार जरिये  
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. -2025/589

वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
29 <sup>09</sup> 25	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम सेवाडी स्थित भूमि खसरा नंबर 4163/1466 रकबा 2.97 हैक्टर किस्म चाही सोयम जाव सोयम कुल लगान 36.3900 रुपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, सेवाडी एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



3  
सहायक कलक्टर एवं पदेन्  
सहायक कलक्टर एवं पदेन्  
उपखण्ड अधिकारी, बाली  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

द्वितीय मुकदमा नुमादाई  
(ओ. 20 रुज 8, 7 जका सेवनी)

बसब अदालत सहायक कलक्टर एवं सर्वेक्षण अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)  
बसबलात श्री दिनेश मिश्रा, आर.दत्त.

वादीनाम  
मुत्तमा देवी पत्नी सनेहा कुमार जाति मोगा  
निवासी सेवाडी तहसील बाली जिला

बनाम

प्रतिवादी  
राजस्थान सरकार जयपुर  
(अधिकारी) तहसीलदार बाली

द्वितीय मुकदमा राजस्व वार GCMS NO. 2023/589  
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान करकारी अधिनियम, 1956

यह मुकदमा आज वादते इनफिस्तान जर्दई रुजक हुनरे सबाब भरोकार सरकार विभाजित भूखंड व \_\_\_\_\_ निनजानिव मुदायजह मेल होकर हुकम दिया जाता है व द्वितीय को जाती है कि मजबूती व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के परवात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार प्राप्त सादका स्थित भूमि खसरा नंबर 856 रुजबा 22700 हैक्टर जिनका बराबरी दोयक कुल मजान 11.88 रुजबा के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज किया अनुसार जैसे म विद्ये मय विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 53 के तहत विभाजन की दिखी जाती की जाती है। पटवारी हत्का, सेवाडी एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय मजबूती मजबूत के निर्माण व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर दिखी पर्चा जारी है। तहसीलदार बाली के द्वारा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लदता नक्शा में पुराती सुनिश्चित करने के आदेश दिखे जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्माण का अभियान अंग रहेगा। सदमतत हुनरे म शक तहत मय निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29/9/23 को जारी की गई।



दिनेश मिश्रा  
सहायक कलक्टर एवं सर्वेक्षण  
अधिकारी, बाली